भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *192
दिनांक 20 दिसम्बर,2023 / 29 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली

***192# श्री सतीश चंद्र दूबेः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) मौजूद है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आपातकालीन नंबर 112 पर कितनी कॉलें प्राप्त हुई हैं; और
(ग) आपातकालीन नंबर पर कॉल करके प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *192 दिनांक 20.12.2023 के लिए श्री सतीश चंद्र दूबे द्वारा 'आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली' के संबंध में।

(क): गृह मंत्रालय द्वारा आपातकाल के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत, एकल-संख्या 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ईआरएसएस सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचालित है।

(ख): पिछले 3 वर्षों में आपातकालीन नंबर 112 पर प्राप्त कॉलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**प्राप्त कॉलों की संख्या**
वित्तीय वर्ष 2020 – 2021	4,13,49,567
वित्तीय वर्ष 2021 – 2022	6,61,17,647
वित्तीय वर्ष 2022 – 2023	10,88,76,777

(ग): ईआरएसएस मुख्य रूप से पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सहायता सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें संकटग्रस्त स्थान पर फील्ड संसाधनों को कंप्यूटरीकृत-सहायता से भेजा जाता है। मूल्यवर्धन के रूप में, आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ईआरएसएस को रेलवे हेल्पलाइन (139), आपदा हेल्पलाइन (1077), और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) जैसी अन्य सेवाओं के साथ भी एकीकृत किया गया है। महिला हेल्पलाइन (181) भी 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईआरएसएस के साथ एकीकृत है।

*****